न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 11/2018

अपीलांटस		रेस्पोडेटस
राउराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी सउओ की ढाणी (अकदड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु 2. वनाराम पुत्र लालाराम के कायम मुकाम– 1/1 पेमाराम पुत्र वनाराम 1/2 राउराम पुत्र वनाराम 1/3 कुम्भाराम पुत्र वनाराम 1/4 गेहरों देवी बेवा वनाराम 3. देदाराम पुत्र भूराराम 4. चिमनाराम पुत्र भीयाराम 5. चैनाराम पुत्र भीयाराम 6. पारू पत्नी दीपाराम 7. कोहलाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट निवासी सउओ की ढाणी (अकदड़ा) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 16.12.2010 द्वारा तहसीलदार बायतु

उपस्थित– 1. अपीलांट एवं अधिवक्ता श्री मोहनलाल पूनड़।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 02 से 07 एवं अधिवक्ता श्री नरपत पूनड़।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से भू.अ.निरीक्षक उपस्थित।

आदेश   दिनांक 30.05.2018

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 07 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 636 रकबा 01.03 बीघा,

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खसरा नंबर 637 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नंबर 638 रकबा 150.08 बीघा मौजा गुलजी का पाना तथा खसरा नंबर 1134 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नंबर 1135 रकबा 0.07बीघा, खसरा नंबर 1224/1136 रकबा 163.17बीघा एवं खसरा नंबर 1226/1136 रकबा 15.16 बीघा मौजा सउओ की ढाणी (अकदड़ा) तहसील बायतु में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनी हुई है। रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 07 द्वारा उक्त संयुक्त खातेदारी भूमियों का बंटवाड़ा बिना अपीलांट की सहमति एवं जानकारी के तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2010 पारित करवाया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न्याय आपके द्वार के तहत राजस्व कोर्ट केम्प बायतु में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। अपीलांट मय वकील उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 07 मय वकील उपस्थित। रेस्पोडेंटस 01 की ओर से भू.अ.निरीक्षक बायतु उपस्थित हुए।

3. हमने उभय पक्षो को सुना। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट की स्थाई रहवासी ढाणियॉ व स्थाई पानी के टांके एवं चारे के बाड़ो को अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 07 के हक में रखे गये, जिससे अपीलांट के विधिक हक एवं हित इत्यादि प्रभावित हो रहे है। बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं कब्जे काश्त अनुसार नहीं किया गया हैं। सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त विभाजन आदेश का वास्तविक ज्ञान दिनांक 09.02.2018

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

को हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का पुनः विभाजन आदेश पारित करावें।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 07 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया कि खसरा नंबर 636 रकबा 01.03 बीघा, खसरा नंबर 637 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नंबर 638 रकबा 150.08 बीघा मौजा गुलजी का पाना तथा खसरा नंबर 1134 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नंबर 1135 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नंबर 1224/1136 रकबा 163.17 बीघा एवं खसरा नंबर 1226/1136 रकबा 15.16 बीघा मौजा सउओं की ढाणी (अकदड़ा) पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी बाहामी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने के दौरान् मौके पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त अनुसार रहवासी ढाणियॉ व पानी के टांके आदि प्रभावित हो रहे है। रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में भिन्नता होने से पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

5. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 07 के अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बायतु द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 16.12.2010 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 07 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 636 रकबा 01.03 बीघा, खसरा नंबर 637 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नंबर 638 रकबा 150.08 बीघा मौजा गुलजी का पाना तथा खसरा नंबर 1134 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नंबर 1135 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नंबर 1224/1136 रकबा 163.17 बीघा एवं खसरा नंबर 1226/1136 रकबा 15.16 बीघा मौजा सउओ की ढाणी (अकदड़ा) तहसील बायतु में आई हुई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 07 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त, बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं भापथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2010 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बायतु को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश कोर्ट केम्प बायतु में दिनांक 30.5.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)